भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 14

सोमवार, 18 नवम्बर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक)

बंधुआ मजदूर

14. श्रीमती एस. जोतिमणि:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कार्यान्वित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान आबंटित निधि का जिले-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार सम्पूर्ण देश में जिन बंधुआ मजदूरों को मुक्त और पुनर्वास कराया गया है उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार बंधुआ मजदूर संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, 2014 की सिफारिशों पर विचार करेगी तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन हेतु जागरूकता फैलाने के लिए किए गए उपायों/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम-2016 का कार्यान्वयन 17.05.2016 से किया है, जिसके अंतर्गत छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को उनके वर्ग और शोषण के स्तर के आधार पर तथा उनकी जीविका के लिए अन्य गैर-नकद सहायता के साथ 1.00 (एक) लाख रुपये, 2.00 (दो) लाख रुपये तथा 3.00 (तीन) लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम, 2016 के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान निधि का आबंटन निम्नवत है :-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ में)
2015-16	5.00
2016-17	5.00
2017-18	10.00
2018-19	10.00
2019-20	8.00

जिला, राज्य-वार निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(ग): पहचान किए गए और छुड़ाए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 3,13,687 है और पुनर्वासित बंधुआ श्रमिकों की संख्या 2,93,725 है *(19962 बंधुआ श्रमिक पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं है। उनकी या तो मृत्यु हो गई है या वे अपना पता छोड़े बिना स्थान छोड़कर चले गए हैं)।*

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ): बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बंधुआ श्रमिक पुनर्वास स्कीम- 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार जागरूकता फैलाने की गतिविधियों को चलाने के लिए प्रति वर्ष प्रति राज्य दस लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है।

****